न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील संख्या 12/01/2021 **जीसीएमएस नं0 2021/1**

प्रवेश तिथि 04.01.2021

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री अरविन्द कुमार पुत्र श्री वेदप्रकाश, निवासी ग्राम–खातनखेड़ा, पोस्ट–माचल, तहसील बहरोड़ जिला अलवर राज0–301701		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ (अलवर)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 28.01.2021

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ, अभिलेख पर लिया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 19.11.2020 के माध्यम से प्रत्यर्थी विभाग से अपीलार्थी द्वारा दिनांक 14.10.2020 को एक आवेदन किया था, उक्त संबंध में आवेदन पर की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने एवं विभाग के नियमानुसार आवेदन पर अधिकतम कितने दिनों में कार्यवाही पूरी होनी चाहिये थी मेरे इस आवेदन के मामले में समय सीमा का पालन किया गया या नहीं लिखित में अवगत कराने बाबत अनुरोध किया गया था।
5. आवेदक को उपरोक्त प्रार्थना–पत्र दिनांकः 19.11.2020 में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांकः 26.12.2020 (न्याया0 को प्राप्त दि0 30.12.2020) के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम.प्रथम/आर.टी.आई.अपील/2021/11–12 दिनांकः 04.01.2021 के माध्यम से तलब कर दिनांकः 14.01.2021 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से जवाब प्राप्त हुआ। शामिल पत्रावली किया गया। प्रत्यर्थी की आरे कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और ना ही अपीलार्थी उपस्थित आया।
7. प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांक लोक सूचना/2021/618–20 दिनांक 13.01.2021 के माध्यम से जवाब अपील पेश किया गया जो अभिलेख पर लिया गया।

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

(2)

8. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दिनांकः 19.11.2020 के क्रम में जवाब नोटिस पत्रांक लोक सूचना/2021/618–20 दिनांक 13.01.2021 के द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा पेश प्रथम आवेदन दि0 19.11.2020 में कार्यायल से संबंधित ना होने से कार्यालय के पत्रांक 535–36 दि0 25.11.2020 के द्वारा अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित समयावधि में तहसीलदार बहरोड़ से संबंधित होने के कारण अन्तरित कर सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया। परन्तु तहसीलदार बहरोड़ द्वारा उक्त संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को कोई सूचना नहीं दी गई है। जिसके उपरांत तहसीलदार बहरोड़ को नोटिस क्रमांक कोर्ट/एडीएम.प्रथम/2021/66 दि0 27.01.2021 के द्वारा अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दि0 19.11.2020 पर की कार्यवाही से अवगत कराने हेतु लिखा गया। अपीलार्थी के प्रथम आवेदन दि0 19.11.2020 बाबत तहसीलदार बहरोड़ द्वारा उनके पत्रांक आरटीआई/2021/90 दि0 27.01.2021 के द्वारा जवाब पेश किया गया। जिसे अभिलेख पर लिया गया। उक्त जवाब नोटिसांक के संलग्नक पत्रांक राजस्व/2020/1322 दिनांक 24.12.2020 रजिस्टर्ड–पत्र के माध्यम से तहसीलदार बहरोड द्वारा बिन्दू सं0 1 के बिन्दू (अ) में चाही गई सूचना उपलब्ध करायी जा चुकी है तथा बिन्दू (ब) में चाही गई सूचना काल्पनिक एवं प्रश्नात्मक है, जो अदेय है।
9. उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी खारिज कर निस्तारित की जाती है।
10. आज दिनांकः 28.01.2021 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।
11. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
12. निर्णय घोषित ।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)